



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223366
CG-DL-E-27112020-223366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2020/अग्रहायण 5, 1942

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020/AGRAHAYANA 5, 1942

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2020

आ.अ. 40(अ).—यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री राम विलास पासवान का स्थान जिनकी पदावधि **02.04.2024** सहित उस तारीख तक थी के समाप्त होने से पूर्व उनका निधन होने के कारण **08.10.2020** से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम **1951 (1951 का 43)** की धारा **147** धारा **39** की उपधारा (1) और धारा **56** के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे **16 दिसम्बर, 2020** से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्दीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

- | | |
|---|---------------------------------|
| (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | — 03 दिसम्बर, 2020 (गुरुवार) ; |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख | — 04 दिसम्बर, 2020 (शुक्रवार) ; |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | — 07 दिसम्बर, 2020 (सोमवार) ; |
| (घ) वह तारीख जिस को यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | — 14 दिसम्बर, 2020 (सोमवार); और |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | — 16 दिसम्बर, 2020 (बुधवार) ; |

नियत करता है;

और

(इ) 09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

[सं. 100/रा.स.-बिहार/06/2020(1)]

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2020

O.N. 40(E).—WHEREAS, the seat of Shri Ram Vilas Paswan in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar, has become vacant on 08.10.2020 by the reason of his death, before the expiration of his term of office which was up to and including 02.04.2024; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Bihar to elect, before 16th December, 2020 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) appoints, with respect to the said election;

- (a) the 03rd December, 2020 (Thursday), as the last date for making nominations;
- (b) the 04th December, 2020 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 07th December, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 14th December, 2020 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 16th December, 2020 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed;

and

(C) fixes the hours from 9:00 a.m. to 4:00 p.m., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

[No. 100/CS-BR/06/2020(1):]

SUMAN KUMAR DAS, Secy.